

कार्यालय आदेश

मैं डॉ. महेन्द्र सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह अक्टूबर, नवम्बर 2023** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल लेख की मजिस्ट्रेट जीव के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह अक्टूबर 2023


क्र. सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	01.10.2023 रविवार 02.10.2023 महात्मा गांधी जन्मदिवस	श्री पूरनसिंह मीना, ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	9799069390
2	08.10.2023 रविवार	सुश्री रितीका श्रोती ए.जे.एम. बांसवाड़ा	9131809459
3	14.10.2023 द्वितीय शनिवार 15.10.2023 रविवार	श्रीमती नीलम नाहर	8003361931
4	22.10.2023 दशहरा अवकाश 23.10.2023 दशहरा अवकाश 24.10.2023 दशहरा अवकाश	श्री नवीन मीणा, जे.एम. बागीदारा	9974687411
5	28.10.2023 चतुर्थ शनिवार 29.10.2023 रविवार	सुश्री रितीका श्रोती ए.जे.एम. बांसवाड़ा	9131809459

माह नवम्बर 2023

1	05.11.2023 रविवार	श्रीमती नीलम नाहर	8003361931
2	10.11.2023 दीपावली अवकाश 11.11.2023 दीपावली अवकाश 12.11.2023 दीपावली अवकाश 13.11.2023 दीपावली अवकाश	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढी	8824584596
3	14.11.2023 दीपावली अवकाश 15.11.2023 दीपावली अवकाश 17.11.2023 लोकल हॉलिडे 19.11.2023 रविवार	सुश्री भारती उपाध्याय, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तलवाड़ा	9785832494
3	25.11.2023 चतुर्थ शनिवार 26.11.2023 रविवार 27.11.2023 गुरुनानक देव जयंती	श्री यशवंत आमेरिया ए.सी.जे.एम. कुशलगढ	7737577299

नोट:-

- रिमाण्ड इयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय परचात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर अथवा किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड इयूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड इयूटी संपादित की जावेगी।
- अत्यंत उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)